

देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्ता या समुचित सरकार

—:प्रारंभिक अधिसूचना:—

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या1342/भू अ०

दिनांक : 18/8/2024

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि मौजा—केन्दुआचक, थाना सं०-455, थाना—पालोजोरी, अंचल—पालोजोरी, जिला—देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना खागा—फुटानी चौक—दिगरी—डुमरिया मोड़—महापुर पथ (कुल ल०—28.578 कि०मी०) पुनर्निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि मौजा—केन्दुआचक, थाना सं०-455, थाना—पालोजोरी, अंचल—पालोजोरी, जिला—देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश-0.34 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क. सं.	खात सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	353	रैयती	बाड़ी-2	0.04	साहेब मुर्मू पे०स्व० दिवीसन मुर्मू वो लुखीराम मुर्मू पे०स्व० गिरिश मुर्मू वो मोटका मुर्मू वो हेमलाल मुर्मू वो सुशील मुर्मू वो लखिन्द्र मुर्मू पे०स्व०गाबीन मुर्मू कौम संथाल नि०नि०ग्राम।	रास्ता	सीमा	374	सीमा
2	4	377	रैयती	बाड़ी-2	0.02	इन्दु कुमार पे०स्व० गुलू कुमार वो शिबु कुमार वो राजेन्द्र कुमार वो जीवन कुमार वो कालीचरण कुमार पे०स्व० नूनलाल कुमार वो भोला कुमार पे०स्व० भादे कुमार नि०नि०ग्राम।				
3	7	358	रैयती	बाड़ी-2	0.02	हराधन सौरिन वो सोना सौरिन पे०स्व० लोबिन सौरिन वो बाबुधन सौरिन पे०स्व० धानो सौरिन वो सिरिल सौरिन पे०स्व० छटु सौरिन वो प्रवीण सौरिन पे०स्व० सुबोध सौरिन वो बुलीराम सौरिन पे०स्व० नन्दलाल सौरिन नि०नि०ग्राम।				
4	7	359	रैयती	बाड़ी-2	0.025	तथैव।				
5	7	374	रैयती	बाड़ी-2	0.025	तथैव।				
6	9	351	रैयती	बाड़ी-2	0.025	नुनुसवर मुर्मू पे०स्व० मुलिन्द्र मुर्मू वो रसीक मुर्मू पे०स्व० छोटका मुर्मू वो				

						सवाश्वर मुर्मू वा सरन मुर्मू पेस्वो लोपना मुर्मू नि०नि०ग्राम।			
7	9	350	रैयती	बाड़ी-2	0.04	भुटका मुर्मू वल्द स्व०सकरा मुर्मू कौम संथाल सा०देह (ज०रै०)			
8	11	355	रैयती	बाड़ी-1	0.015	ईश्वर सौरन पे०स्व० बड़का सौरन वो बाबुसर सौरन वो नन्दलाल सौरन वो लुखिन्द सौरन वो सुबोधन सौरन पे०स्व० डुई सौरन वो फैंके सौरन पे०स्व० टुरका सौरन नि०नि०ग्राम।			
9	11	356	रैयती	धानी-2	0.025	तथैव।			
10	11	357	रैयती	धानी-2	0.02	तथैव।			
11	17	381	रैयती	बाड़ी-2	0.025	ढेमका हांसदा वो मदन हांसदा वो लिला हांसदा पे०स्व० नुनुलाल हांसदा वो लिलु हांसदा पे०स्व० होपना हांसदा नि०नि० ग्राम।			
12	17	382	रैयती	बाड़ी-2	0.025	तथैव।			
13		354	रैयती	बाड़ी-2	0.015	मुस्तवाहा			
14		375	रैयती	बाड़ी-2	0.02	मुस्तवाहा			
कुल रकवा-					0.34				

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
देवघर
3.8.21

अपर समाहर्ता
देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 1342 भू अ०, देवघर, दिनांक 18/8/2021

प्रतिलिपि : संबंधित भू धारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, पालोजोरी को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला गजट के आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
देवघर
3-8-21

अपर समाहर्ता
देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।
18/8/2021